HRA ANGUN The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934

No. 602]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 848(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 जहां तक उनका संबंध 'कार्यालय अधीक्षक और मुख्य सहायक' से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कार्यालय अधीक्षक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नंहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध संघ लोक सेवा आयोग से प्रामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

ŗ		 				The and and	1993 31 13 1
	पद का नाम	पद संख्या	वगीकरण				सीधे भवी नित्य जाने
-				और ग्रेड	अचयन पद		वाले व्यक्तिया के लिए
				वेतन या			अपेक्षित शैक्षिक और अन्य
				वेतनमान			अर्हताएं
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	कार्यालय	40*	साधारण	वेतन बैंड-2	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (i)
	अधीक्षक	(2012)	केन्द्रीय सेवा,	(9300-		· ·	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय
			समूह 'ख'	34800ক.)		समय पर जारी किए गए अनुदेशों	
			अराजपत्रित	+ ग्रेड वेतन	i i	या आदेशों के अनुसार सरकारी	
			अनुसचिवीय	4200 रु.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	सेवकों के लिए पांच वर्ष तक	
		* कार्यभार				शिथिल की जा सकती है।)	कार्यालय में अनुभव सहित
_ <u>==</u>		के आधार				टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित	सिविल प्रशासन के लिए
		पर परिवर्तन				करने के लिए निर्णायक तारीख	मूल नियमों, अनुपूरक
		किया जा				भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	नियमों और अन्य नियमों
		सकता है।				प्राप्त करने के लिए नियत की गई	को लागू करने का दो वर्ष
						अंतिम तारीख होगी । (न कि वह	का अनुभव।
				·		अंतिम तारीख जो असम्, मेघालय,	
. ·		·				अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम,	वांछनीय : (i) लेखा /
			_			मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	बजट कार्य / और / या
			·			<u> </u>	
						लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के	(ii) प्रशासनिक रिपोर्ट
						लाहोल और स्पीति जिले तथा	बनानेका अनुभव।
						चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,	(iii) दसवीं कक्षा हिन्दी
		·				·	(111) दसवा कक्षा हिन्दा

•

]	ľ]	[•		
					_	अन्त्यान और नि	कोबार द्वीप या	विषय राहित ।
						्याहीप के अव	पशिया के विष्	िम्पण १ - अन्यशा
						विहित की गई		सुअदित अभ्यभियो क
								मामले में ऐसे कारणों से,
· ·					-			जो लेखबद्ध किए जाएंगे,
		:===						कर्मचारी चयन आयोग के
								विवेकानुसार अर्हताओं में
						• ₉	•	छूट दी जा सकती है।
•								
								टिप्पण 2 : अनुभव संबधी
								अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	चयन आयोग / सक्षम
		·						प्राधिकारी के विवेकानुसार
							ĺ	अनुसूचित जातियों और
-								अनुसूचित जनजातियों के
·								अभ्यर्थियों की दशा में तब
-							ľ	शिथिल की जा सकती हैं।
							F .	जब चयन के किसी प्रक्रम
								पर कर्मचारी चयन आयोग
								/ सक्षम प्राधिकारी की यह
								राय है कि उनके लिए
							j	आरक्षित रिक्तियों को भरने
							ļ	के लिए अपेक्षित अनुभव
								रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त
-						•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						•		सम्भावना नहीं है।
						·		
		•			<u>ਵ</u>			•

•

•

•

.

·

राध गती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में		भती की पद्धति भवी सीधे हामी या पा विच हास सा प्रतिनियुक्ति या आमेलन हास क्या विभिन्न पद्धियो हास भरी आने वाली सिक्तया की प्रविश्वना
लागू होंगी या नहीं। (8)	······································	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भनी हास ।

.

•

. •

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।		भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
आधार पर दस वर्ष की सेवा।	निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हा ।

प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित निम्नलिखित होंगे :-स्तर 'क' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, होगा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।

टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम

अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के

लिए विचार किए जाने के पूर्व, सचिवीय समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें

- 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण -सदस्य ;
- 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण सदस्य

लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण गेंड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

> [फा. सं. 01/10/2011-सीएसबी] बी. एम. एस. राठौर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2012

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the posts of 'Office Superintendent and Head Assistant', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

- Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Office Superintendent, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.		Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Office Superintendent.	40* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	j ·	Pay Band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay - Rs.4200.	Selection.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Government servants up to five years in	 (i) Bachelor's degree in any stream of a recognised University. (ii) Two years' experience in application of Fundamental Rules, Supplementary Rules 		Two Years for direct recruits and promotes.	By promotion failing which by direct recruitment.

THE CAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINAR

Note: The crucial date for shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (ii) Experience (and not the closing date Meghalaya, Assam, Arunachal Manipur, Mizoram, Nagaland, division district Andaman Pradesh, Islands Nicobar Lakshadweep).

Desirable:

- determining the age-limit (i) Experience of Accounts/Budget Work/ and/ or Establishment Work.
 - preparing administrative reports.
- prescribed for those in (iii) Matriculation with Hindi as a subject.

Pradesh, | Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Tripura, | Selection Commission/ Competent Sikkim, Ladakh Division of | Authority, for reasons to be J&K State, Lahaul & Spiti | recorded in writing, in the case of district and Pangi sub- candidates otherwise well qualified. Chamba | Note 2: The qualification regarding | Himachal experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Schedule Tribes, If at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these possessing communities requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

) _{ART}
hamed haress t
SEC.
3(i)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the grade. Note 1: The Upper Division Clerks who are in the zone of consideration for promotion, will have to participate and successfully	 Director, Botanical Survey of India — Chairman; Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata— Member; Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata— Member. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- Director,	Commission not necessary.

next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

[F. No. 01/10/2011-CSB]
B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)